तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की ... में जारी हुआ
27-2-20	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम के तहत अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 197 रकबा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 208 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा भूमि ग्राम कोचरिया पटवार हल्का मेजा तहसील माण्डल जिला-भीलवाड़ा मे स्थित उक्त भूमि प्रार्थीगण के आने जाने हेतु रस्ता विपक्षी सं० 01 लगायत 08 की आराजी नम्बर 196 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा ग्राम कोचरिया के आराजी नम्बर 194 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित भूमि उपरोक्त भूमि मे से दक्षिणी पूर्वी कोने के सहारे 20 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम करने की इस्तदुआ की। जब कि वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया तथा तहसीलदार माण्डल द्वारा पेश की गई मौका रिपोर्ट का अध्ययन व मनन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार योग्य है. अत: :: आदेश :: प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजियात ग्राम कोचरिया पटवार हल्का मेजा तहसील-माण्डल जिला-भीलवाड़ा मे स्थित आराजी नम्बर 197 रकबा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 208 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर आने-जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है एवं उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। उपरोक्त भूमि मे आने जाने हेतु विपक्षी सं. 1 लगायत 08 की आराजी नं. 196 रकबा 0.1 बीघा 08 बिस्वा भूमि से पूर्वी दिशा के सहारे-सहारे एंव ग्राम कोचरिया की आराजी नं. 194 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित भूमि मे से 15 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने का आदेश दिया जाता है। 15 फीट चौड़ा रास्ता के काम मे आने वाली भूमि की D.L.C दर की डबल राशि नकद या D.D. प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थीगण को भुगतान करे, अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड मे से कम की जावे। और भूमि को राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। नियमानुसार अपील अवधि के पश्चात तहसीलदार माण्डल द्वारा निर्णय की पालना की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। Sd/- उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.04.30 10:31:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: